न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 113/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 23.05.2024
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

पन्नालाल आत्मज श्री रत्तीलाल जी जाति मीना निवासी ग्राम कलमण्डी तहसील सांगोद जिला कोटा (राज.)

...अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार, जरिए तहसीलदार सांगोद जिला कोटा (राज०)

...रेस्पो0

उपस्थित : श्री संजय पाटोदी अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 08.01.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा द्वारा प्रकरण प्रा.पत्र/निर.आवं/77/2001 बउनवान राजस्थान सरकार बनाम पन्नालाल में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2001 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सांगोद ने प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी पन्नालाल को दिनांक 30.05.82 को ग्राम सलोनिया, तहसील सांगोद में स्थित भूमि खसरा सं0 103 की 6 बीघा, मि. 163 की 6 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी। आवंटन को 10 वर्षों से अधिक हो गये है तथा अप्रार्थी भू–अभिलेख में गैर खातेदार के रूप में अंकित है, आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं है। इस प्रकार आवंटी ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है तथा यह आवंटन निरस्त किये जाने योग्य होने से अप्रार्थी को किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवंटन के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं होने वर्णित किये जाने से आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के प्रावधानों का उल्लंघन होना मानते हुए तहसीलदार, सांगोद का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को किया गया उक्त आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 29.06.2001 पारित किया गया।

8/1/2025

2. अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा द्वारा प्रकरण प्रा.पत्र/निर. आवं/77/2001 बउनवान राजस्थान सरकार बनाम पन्नालाल में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2021 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश करन कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधी, न्याय एवं संचिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुने बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय प्रदान कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यान पूर्वक अवलोकन किये बिना ही निर्णय प्रदान कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि हल्का पटवारी द्वारा गलत/मिथ्या रिपोर्ट की गई जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निष्पक्ष रिपोर्ट तलब की जानी चाहिये थी, परन्तु फिर भी उक्त समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय प्रदान कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है। अपीलाण्ट वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के पश्चात से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, तथा उसने आवंटन के नियमो की पूर्ण पालना की है तथा अपीलाण्ट को आवंटन हुए 40 वर्षों से भी अधिक का समय हो गया तथा अपीलाण्ट नियमानुसार स्वतः खातेदार काश्तकार हो गया था ऐसी स्थिति मे आवंटन निरस्त ही नही किया जा सकता था। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपीलाण्ट को पूर्व में कोई जानकारी नही हुई इस कारण कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुने बिना व सुनवाई का असवसर दिये बिना एक तरफा आदेश प्रदान कर दिया। अपीलाण्ट को योग्य अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश जैर अपील की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 07.04.2024 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई, तब अपीलाण्ट ने पूर्ण जानकारी हेतु दिनांक 08.04.2024 को कोटा आकर आदेश की नकल प्राप्त करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर प्रार्थी अपीलाण्ट को दिनांक 09.04.2024 को नकल आदेश प्राप्त होने पर निर्णय की पूर्ण जानकारी हुई । अपील प्रस्तुत करने मे हुऐ विलम्ब मे अपीलाण्ट की कोई त्रुटि नही है और ना ही कोई दुर्भावना है। इस कारण अपील प्रस्तुत करने मे हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाकर निर्णय की जानकारी की तिथी दिनांक 08.04.2024 से अपील अवधि मध्य मानते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाते हुए अपीलांट के पक्ष में हुआ आवंटन दिनांक 30.05.1982 को बहाल किया जाकर अपीलांट के खातेदारी में उक्त भूमि दर्ज किये जाने को आदेश प्रदान फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के पश्चात से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, तथा उसने आवंटन के नियमो की पूर्ण पालना की है तथा अपीलाण्ट को आवंटन हुए 40 वर्षों से भी अधिक का समय हो गया तथा अपीलाण्ट नियमानुसार स्वतः खातेदार काश्तकार हो गया था ऐसी स्थिति मे आवंटन निरस्त ही नही किया जा सकता था। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपीलाण्ट को पूर्व में कोई जानकारी नही हुई इस कारण कि योग्य अधीनस्थ

8/1/2025

न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुने बिना व सुनवाई का असवसर दिये बिना एक तरफा आदेश प्रदान कर दिया। अपीलाण्ट को योग्य अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश जैर अपील की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 07.04.2024 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई, तब अपीलाण्ट ने पूर्ण जानकारी हेतु दिनांक 08.04.2024 को कोटा आकर आदेश की नकल प्राप्त करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर प्रार्थी अपीलाण्ट को दिनांक 09.04.2024 को नकल आदेश प्राप्त होने पर निर्णय की पूर्ण जानकारी हुई। इस कारण अपील प्रस्तुत करने मे हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाकर निर्णय की जानकारी की तिथी दिनांक 08.04.2024 से अपील अवधि मध्य मानते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाते हुए अपीलांट के पक्ष में हुआ आवंटन दिनांक 30.05.1982 को बहाल किया जाकर अपीलांट के खातेदारी में उक्त भूमि दर्ज किये जाने को आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक उद्वरण **RRT 2017(2) Page No. 972, RRT 2016(1) Page No. 82, RRT 2014(2) Page No. 1220, RRT 2016(1) Page No. 559,**पेश किये।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2001 न्यायोचित है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करने बाबत् विधिक रूप से दिनांक 11.09.2000 को नोटिस जारी कर प्रकरण में तलब किया गया था। किंतु अपीलांट बाद तामील बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 06.09.2000 में स्पष्ट किया है कि मौके पर आंवटी का कब्जा नहीं है और आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने तथा मौके पर कब्जा नहीं होने से आवंटन की शर्तो की पालना नहीं किये जाने से आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जेरअपील निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे।

6. अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ पत्र पेश कर अपील को अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर/साक्ष्य पेश किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सांगोद ने प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अन्तर्गत प्रस्तुत कर वर्णित किया कि अपीलांट पन्नालाल को दिनांक 30.05.82 को ग्राम सलोनिया, तहसील सांगोद में स्थित भूमि खसरा सं0 103 की 6 बीघा, मि. 163 की 6 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई आराजी को 10 वर्षों से अधिक हो गये है तथा अप्रार्थी भू–अभिलेख में गैर खातेदार के रूप में अंकित है, आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं है। आवंटी ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है अतः उक्त आवंटन

8/1/2025

निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवंटन के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं होने वर्णित किये जाने से आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के प्रावधानों का उल्लंघन होना मानते हुए अपीलांट का आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 29.06.2001 पारित किया गया। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अपीलाण्ट वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के पश्चात से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, तथा उसने आवंटन के नियमो की पूर्ण पालना की है तथा अपीलाण्ट को आवंटन हुए 40 वर्षों से भी अधिक का समय हो गया तथा अपीलाण्ट नियमानुसार स्वतः खातेदार काश्तकार हो गया था ऐसी स्थिति मे आवंटन निरस्त ही नही किया जा सकता था। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपीलाण्ट को पूर्व में कोई जानकारी नही हुई इस कारण कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुने बिना व सुनवाई का असवसर दिये बिना एक तरफा आदेश प्रदान कर दिया। इसके विपरित रेस्पो0 पेरोकार सरकार का तर्क है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करने बाबत् विधिक रूप से दिनांक 11.09.2000 को नोटिस जारी कर प्रकरण में तलब किया गया था। किंतु अपीलांट बाद तामील बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 06.09.2000 में स्पष्ट किया है कि मौके पर आंवटी का कब्जा नहीं है और आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने तथा मौके पर कब्जा नहीं होने से आवंटन की शर्तो की पालना नहीं किये जाने से आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त किया गया है।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को प्रकरण में तामील होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने के आधार पर आवंटन निरस्ती की कार्यवाही की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में इसके समर्थन में पटवारी रिपोर्ट तथा खसरा गिरदावरी संलग्न है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में ऐसा कोई नया तथ्य पेश नहीं किया जिससे अपील मीमो में उल्लेखित कथनों की पुष्टि होती हो। इस प्रकार अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में तथा न्यायालय हाजा में अपील के समय भी प्रस्तुत नहीं किया जिससे उक्त तथ्य का खण्डन होना प्रकट होता हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा का निर्णय दिनांक 29.06.2001 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

8/1/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा